राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०
पी. सी. एफ. भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ
दूरभाष : 0522-2630130 (कार्यालय)
फैक्स : 0522-2630115, 2630134
वेबसाइट : http://sec.up.nic.in
ईमेल : secup@up.nic.in,
: secup32@gmail.com

State Election Commission, U.P.
P.C.F. Building, 32-Station Road, Lucknow.
Phone : 0522-2630130 (O)
Fax : 0522-2630115, 2630134
Website : http://sec.up.nic.in
E-mail : secup@up.nic.in,
: secup32@gmail.com

संख्याः 184 / रा0नि0आ0–3 / न0नि0 / 07–16 / 2016 दिनाँक : 01 जून, 2016

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यक सपठित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–35 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–12ख में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एस0के0 अग्रवाल, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि प्रदेश में नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली का निम्नांकित समय सारिणी के अनुसार वृहद् पुनरीक्षण किया जाएगा :–

1.	नगरीय निकायवार / वार्डवार / मतदान स्थलवार वृहद पुनरीक्षण हेतु बी0एल0ओ0, पर्यवेक्षकों, सेक्टर ऑफिसरों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति	01.06.2016 से 05.06.2016 तक
2.	कार्यक्षेत्र आवंटन एवं तत्सम्बन्धी जानकारी लेना	06.06.2016 से 10.06.2016 तक
3.	प्रशिक्षण की अवधि	11.06.2016 से 14.06.2016 तक
4.	बी0एल0ओ0 द्वारा घर–घर जाकर गणना, सर्वेक्षण तथा पाण्डुलिपि तैयार करने की अवधि	15.06.2016 से 25.07.2016 तक
5.	ऑन लाइन आवेदन करने की अवधि	15.06.2016 से 18.07.2016 तक
6.	ऑन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर–घर जाकर जाँच करने की अवधि	19.07.2016 से 25.07.2016 तक
7.	ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करना	26.07.2016 से 17.08.2016 तक
8.	ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन	18.08.2016
9.	ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण	18.08.2016 से 20.08.2016 तक
10.	दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त करना	18.08.2016 से 25.08.2016 तक
11.	दावे और आपत्तियों का निस्तारण	26.08.2016 से 30.08.2016 तक
12.	दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्यवाही	31.08.2016 से 09.09.2016 तक
13.	अन्तिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए प्रकाशन	10.09.2016

2– जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा।

3. नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली तैयार कराकर उनके निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन एवं नियन्त्रण करना आयोग का संवैधानिक दायित्व है। अतः निर्धारित समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा बढ़ायी नहीं जाएगी। निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जाएगी।

एस0के0अग्रवाल
राज्य निर्वाचन आयुक्त, उ0प्र0।

संख्याः (1)/रा0नि0आ0–3/न0नि0/05–16/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
11. अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था), उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
15. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दें तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु भेज दें।
16. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
17. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश।
18. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
19. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश।
20. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
21. समस्त अधिशाषी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

22. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश।
23. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित करा दें।
24. निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित करा दें।
25. समाचार सम्पादक, आकाशवाणी, गोरखपुर केन्द्र, गोरखपुर।
26. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को **दिनांक 01 जून, 2016** के असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इसकी दस प्रतियॉ आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया यह ध्यान रहे कि यह अधिसूचना विधायी परिशिष्ट में नहीं छपेगी।
27. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
28. सूचना पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश।
29. गार्ड फाइल, अनुभाग–3, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

01/06/2016

(जय प्रकाश सिंह)

विशेष कार्याधिकारी।